



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61376-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 66 सन् 2026

प्रबंधन समिति, जय प्रकाश डिग्री कॉलेज

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : गजेंद्र प्रताप (वरिष्ठ अधिवक्ता), जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., अशोक खरे (वरिष्ठ अधिवक्ता), पुष्पेंद्र कुमार
यादव, शशि प्रकाश राय

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

- यह अपील माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट - सी संख्या 40642/2024 में दिनांक 06.12.2024 को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने संबंधित संस्था के संबंध में आदेश दिया कि यदि चुनाव पहले से ही मान्यता प्राप्त नहीं हैं, तो न्यायालय की अनुमति के बिना उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी।
- अपील दायर करने की समय सीमा 382 दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने हेतु हलफनामे के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया है।

4. यह तर्क दिया गया है कि अपील दाखिल करने में परिस्थितिजन्य विलंब हुआ है। विलंब इस तथ्य के कारण हुआ कि अपीलकर्ता रिट याचिका की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा था और अंतरिम आदेश पारित करते समय उसे विशेष अपील दाखिल न करने की सलाह दी गई थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा लगातार स्थगन के कारण, अपीलकर्ता को वर्तमान विशेष अपील दाखिल करने की सलाह दी गई है।

5. उपरोक्त दलीलों के आधार पर यह दावा किया गया है कि वर्तमान अपील को दाखिल करने में जानबूझकर या सोची-समझी देरी नहीं हुई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कानूनी सलाह के तहत, अपील उस समय दाखिल नहीं की गई थी जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। इन दलीलों के आधार पर यह निवेदन किया गया है कि अपील को समय सीमा के भीतर माना जाए।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि आदेश में कुलपति द्वारा प्रबंधन समिति को चुनाव कराने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दिए जाने और संस्था का संचालन सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, इस विषय पर विश्वविद्यालय के विचार किए जाने के संबंध में दिए गए दोनों संकेत तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, क्योंकि कुलपति ने केवल चुनाव अधिकारी को मनोनीत किया है, चुनाव कराने का आदेश नहीं दिया है और विश्वविद्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। अतः, उपर्युक्त तर्कों के आधार पर पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

7. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने विलंब क्षमादान की अर्जी का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि केवल एकल न्यायाधीश द्वारा प्रकरण की कथित सुनवाई न होने के कारण, आदेश पारित होने के एक वर्ष से अधिक समय बाद अपील दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक ओर तो प्रतिवादीगण पर प्रकरण को स्थगित कराने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अपीलकर्ता की ओर से न तो रिट याचिका का जवाब दाखिल किया गया है और न ही अंतरिम आदेश को रद्द करने की अर्जी दी गई है। इसलिए, प्रकरण की सुनवाई न होना अपीलकर्ता के ही इशारे और आचरण के कारण



है। उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दिया गया आदेश स्पष्ट रूप से अवैध और कानून के विरुद्ध है, इसलिए एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आक्षेपित आदेश को पारित करना उचित था, जिसमें वैसे भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. हमने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

9. जैसा कि उल्लेख किया गया है, अपील 382 दिनों से वर्जित है।

10. विलंब की क्षमा मांगने वाले आवेदन में उठाया गया एकमात्र निवेदन यह है कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता की उपस्थिति में अंतरिम आदेश दिए जाने के बाद प्रकरण की सुनवाई नहीं हो रही है। अभिलेख पर रखे गए सीमित आदेश पत्रों से पता चलता है कि 06.12.2024 को अंतरिम आदेश देते समय, प्रकरण को 06.01.2025 को 'नए सिरे से' सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था और उस तारीख को प्रतिवादी के अनुरोध पर प्रकरण को स्थगित कर दिया गया था और अगली बार, यानी 24.03.2025 को, अपीलकर्ता के अनुरोध पर प्रकरण को स्थगित कर दिया गया था।

11. यह आश्चर्यजनक है कि एक ओर अंतरिम आदेश दिए जाने के संबंध में शिकायत की जा रही है और प्रकरण की सुनवाई न होने को विशेष अपील दायर करने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक न तो याचिका के जवाब में कोई प्रतिवाद दायर किया गया है और न ही अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग वाली कोई अर्जी दाखिल की गई है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केवल देरी की माफी मांगने के उद्देश्य से ही प्रकरण की सुनवाई न होने का बहाना बनाया जा रहा है।

12. यह तथ्य कि अंतरिम आदेश अपीलकर्ता के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया था और उस पर न तो तुरंत सवाल उठाया गया और न ही आदेश को रद्द कराने का कोई प्रयास किया गया, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रकरण की कथित सुनवाई न होने के अलावा किसी अन्य कारण से यह अपील दायर की गई है।

13. चाहे जो भी हो, हमारा दृढ़ मत है कि केवल इस कारण से कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दूसरे पक्ष की उपस्थिति में अंतरिम आदेश दिए जाने के बाद, किसी भी कारणवश, रिट

याचिका/स्थगन आवेदन पर दी गई अवधि में सुनवाई नहीं हो पाती है, यह अपने आप में अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतरिम आदेश की वैधता पर सवाल उठाने और उक्त आधार पर विलंब क्षमा मांगने का कारण नहीं हो सकता। हमें नहीं लगता कि 382 दिनों के विलंब की क्षमा मांगने वाले आवेदन में दिया गया कारण इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

14. परिणामस्वरूप, विलंब क्षमादान की याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, याचिका में उठाए गए निवेदन की प्रकृति को देखते हुए, रिट याचिका को 16.04.2026 को माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। आशा है कि प्रकरण को प्राथमिकता दी जाएगी और शीघ्र सुनवाई की जाएगी।

15. उपरोक्त निर्देश के साथ, अपील का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण
भंसाली)

24 मार्च, 2026

मुकेश पाल